



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 236]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 25, 2012/ज्येष्ठ 4, 1934

No. 236]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 25, 2012/JYAISTHA 4, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2012

सा.का.नि. 387(अ).—केन्द्रीय सरकार, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 23) की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नैदानिक स्थापन (केन्द्रीय सरकार) नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है ;

(ख) "सचिव" से राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् का सचिव अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में है।

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिषद् के सचिव की नियुक्ति,-

(1) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में नैदानिक स्थापन के विषय को संभालने वाला संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् का पदेन सचिव होगा।

(2) राष्ट्रीय परिषद् का सचिव राष्ट्रीय परिषद् के सचिवालय के नियंत्रण और प्रबंध तथा राष्ट्रीय परिषद् सचिवालय के अन्य कर्मचारियों के पर्यवेक्षण का उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो अधिनियम के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय परिषद् द्वारा उससे अपेक्षा की जाए।

(3) वह राष्ट्रीय नैदानिक परिषद् की बैठकों में भाग लेगा।

(4) राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारिवृन्द के कर्तव्य और उत्तरदायित्व वह होंगे जो राष्ट्रीय परिषद् के सचिव द्वारा समय-समय पर अधिकथित किए जाएं।

4. **राष्ट्रीय परिषद् और उसकी उपसमितियां -**

(1) राष्ट्रीय परिषद् औषधि की मान्यताप्राप्त प्रणालियों के नैदानिक स्थापन को वर्गीकृत और प्रवर्गीकृत करेगी और उन्हे अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजेगी।

(2) राष्ट्रीय परिषद् प्रत्येक उप समिति की नियुक्ति के लिए उप समिति के कृत्य, उसमें नियुक्त होने वाले सदस्यों की संख्या और प्रकृति तथा कृत्यों को पूरा करने के लिए समयबद्धता को परिभाषित करेगी। प्रत्येक उप समिति की संरचना के समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि प्राईवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और / इसके संगठनों, गैर सरकारी सेक्टर, वृत्तिक निकायों, शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान, अन्य में से सभी संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों का प्रत्येक समिति में देश भर से पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

(3) प्रत्येक उप समिति का अध्यक्ष उप समिति की नियुक्ति के समय राष्ट्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त होगा।

(4) उप समिति की बैठकों की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त के रूप में संरक्षित होंगे।

(5) उप समिति द्वारा की गई कोई सिफारिश इसके विचार और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय परिषद् के समक्ष रखी जाएगी।

(6) राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् किसी विशिष्ट मामले पर इसके विचार के लिए बिंदु उपलब्ध कराने को राज्य परिषद् या संघ राज्य परिषदों से अनुरोध कर सकेगी। यदि अपेक्षित हो, राज्य परिषदों या संघ राज्य परिषद, यथास्थिति, राष्ट्रीय परिषद् या केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर किसी भी विशेष मामले या मुद्दे पर विचार विमर्श और सिफारिशें करने के लिए उप समिति गठित कर सकेगी जिसमें राज्य या संघ राज्य परिषद के सदस्य और विषय के विशेषज्ञ होंगे, जिसकी अवधि एक वर्ष से अनधिक होगी।

5. **राष्ट्रीय परिषद् और उप समितियों के सदस्यों के लिए भत्ते -**

राष्ट्रीय नैदानिक स्थापन परिषद् के शासकीय सदस्य भारत सरकार के नियमों के अनुसार अपनी यात्रा और दैनिक भत्ते उसी स्त्रोत से प्राप्त करेंगे जिससे वह अपना वेतन प्राप्त करते हैं। परिषद् के नैदानिक सदस्यों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के समूह 'क' अधिकारियों के लिए समय-समय पर लागू भारत सरकार के नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता संदत्त किया जाएगा।

6. **राष्ट्रीय परिषद् की बैठकों में राज्य परिषद् या संघ राज्य परिषद् का प्रतिनिधित्व -**

राष्ट्रीय परिषद् अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए एक या अधिक राज्य परिषदों या संघ राज्य परिषदों से प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को आमंत्रित कर सकेगी, जैसा उपयुक्त समझे और ऐसे प्रतिनिधियों को बैठकों के महत् होने वाला व्यय राष्ट्रीय परिषद् द्वारा वहन किया जाएगा।

7. **राज्य और राष्ट्रीय रजिस्टर संकलन के लिए सामान्य रजिस्ट्रीकरण प्रस्म -**

राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचनाओं के संग्रहण में एकसमय सुनिश्चित करने के क्रम में और अधिनियम की धारा 38 और धारा 39 के प्रयोजन के लिए अंकीय प्रस्म में राज्य रजिस्ट्रियों में नैदानिक रजिस्टर के संकलन और उसके अनुसंधान के संबंध में डाटा प्रवाह बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए मानक आवेदन प्रस्म भी विकसित करेगा।

8. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण -

(1) प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और निबंधन तथा शर्तें, - जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से स्थापित होगा जो तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, जो जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे और जिसमें, यथास्थिति, जिला पुलिस आयुक्त या ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक या उनका नामनिर्देशित, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन का ज्येष्ठ स्तर का अधिकारी, जिसकी उपस्थिति, यथास्थिति, जिले में या राज्य के भीतर हो, किसी वृत्तिक चिकित्सा संगम या निकाय से एक प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, इसकी अवधि दो वर्ष की होगी, ।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरना - यदि कोई आकस्मिक रिक्ति चाहे वह मृत्यु, त्यागपत्र या बीमारी के कारण, कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता या किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य की किसी अन्य अक्षमता के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी रिक्ति जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी नई नियुक्ति के द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य ऐसे व्यक्ति के, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया है, की अवशेष अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

(3) नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी की शक्तियां - जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए), अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :-

(क) नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत विहित रूप विधान में कोई आवेदन अपेक्षित फीस, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित कर सकेगी, के साथ करेगा;

(ख) आवेदन वैयक्तिक रूप से या डाक द्वारा या आनलाइन फाइल होंगे;

(ग) जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे प्रल्प, विशिष्टियां और जानकारी में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें, अनंतिम प्रमाणपत्र, आवेदक को प्रदान करेगा;

(घ) जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनंतिम प्रमाणपत्र को प्रदान करने से पूर्व कोई जांच नहीं करेंगे;

(ङ) रजिस्ट्रीकरण के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र प्रदान हो जाने पर भी जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित कर सकेगी, इस प्रकार अनंतिम रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन के सभी ब्यौरे प्रकाशित कराएगा;

(च) जहां नैदानिक स्थापनों के संबंध में जिसके मानक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हों, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान या नवीकृत नहीं होगा -

- (i) नैदानिक स्थापनों की दशा में जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले अस्तित्व में थे मानकों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि;
- (ii) नैदानिक स्थापनों की दशा में जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् किंतु मानकों की अधिसूचना से पहले अस्तित्व में आए, अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि; और
- (iii) नैदानिक स्थापनों के लिए जो मानकों के अधिसूचित होने के पश्चात् अस्तित्व में आए, मानक अधिसूचना की तारीख से छः मास की अवधि के लिए;

उपर्युक्त वर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के जारी होने और ऐसे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की तारीख से बारह मास के अंतिम दिन तक विधिमान्य होगा।

(क) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन जिला स्वास्थ्य अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन के भीतर करना होगा और अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के समाप्त हो जाने के पश्चात् नवीकरण के लिए किए जा रहे आवेदन की दशा में, प्राधिकरण ऐसी बढी हुई फीस के संदाय पर जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण को अनुज्ञात कर सकेगा।

(ख) प्रमाणपत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में प्राधिकरण नैदानिक स्थापनों के अनुरोध पर प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति और ऐसे फीस के संदाय पर जो राज्य सरकार नियमों द्वारा अवधारित करें, जारी करेगा

9. नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण और बने रहने के लिए अन्य शर्तें - प्रत्येक नैदानिक स्थापन रजिस्ट्रीकरण और बने रहने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करेगा, अर्थात् :-

- (i) प्रत्येक नैदानिक स्थापन उपलब्ध सेवाओं और सुविधाओं के प्रत्येक प्रकार के लिए प्रभार्य दरों को प्रदर्शित करेगा और रोगियों के लाभ के लिए उसे स्थानीय भाषा के साथ-साथ अंग्रेजी में सहजदृश्य स्थान पर लगाएगा ;
- (ii) नैदानिक स्थापन प्रक्रियाओं और सेवाओं के प्रत्येक प्रकार के लिए दर उस सीमा के भीतर प्रभार्य करेगा, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से अवधारित और जारी की जाए ;
- (iii) नैदानिक स्थापन मानक चिकित्सा मार्ग निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के परामर्श से अवधारित और जारी की जाए ;
- (iv) नैदानिक स्थापन प्रत्येक रोगी का इलेक्ट्रानिक चिकित्सा अभिलेख या इलेक्ट्रानिक स्वास्थ्य अभिलेख रखेगा और उपलब्ध कराएगा जो समय-समय पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अवधारित और जारी की जाए ;
- (v) प्रत्येक नैदानिक स्थापन तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन और उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसरण में सूचना और सांख्यिकी रखेगा।

[फा. सं. जेड-28015/87/2011-एच]

डॉ. अरूण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd May, 2012

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by section 52 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (23 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Clinical Establishments (Central Government) Rules, 2012.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010;
 - (b) "Secretary" means the Secretary of the National Council for clinical establishments,
 - (c) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
3. **Appointment of Secretary of the National Council by the Central Government-**
 - (1) The officer of the rank of Joint Secretary dealing with the subject of Clinical Establishments in the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India shall be the ex-officio Secretary of the National Council for clinical establishments established under sub-section (1) of section 3 of the Act.
 - (2) The Secretary of the National Council shall be responsible for the control and management of the secretariat of the National Council and supervision of the other staff of the National Council Secretariat and perform such other duties as may be required of him by the National Council for the purposes of the Act.

1877 GI/12-2

(3) He shall attend the meetings of the National Council for clinical establishments.

(4) The duties and responsibilities of the staff of the National Council shall be such as may be laid down from time to time by the Secretary of the National Council.

4. National Council and its sub - committees.- (1) The National Council shall classify and categorise the clinical establishments of recognised systems of medicine and submit the same to the Central Government for its approval.

(2) For the appointment of each sub-committee the National Council shall define the functions of the sub-committee, number and nature of members to be appointed thereon and timeline for completion of tasks. At the time of formation of each sub-committee, effort should be made to ensure that there is adequate representation from across the country in each committee from experts in the relevant fields across the private sector, public sector and its organizations, non-governmental sector, professional bodies, academia or research institutions amongst others.

(3) The Chairperson of every such sub-committee shall be appointed by the National Council at the time of the appointment of the sub-committee.

(4) The proceedings of the meetings of the sub-committees shall be preserved in the form of minutes.

(5) Any recommendations made by the sub-committees shall be placed before the National Council for its consideration and further necessary action.

(6) The National Council of clinical establishments may request the State Councils or Union territory Councils to provide inputs for its consideration on particular matters. If required, the State Council or Union territory Council shall at the request of the National Council or the Central Government, as the case may be, constitute sub-committee consisting of members of the State and Union territory Council and field experts for such period not exceeding one year, for deliberations and making recommendations on a particular matter or issue.

5. Allowances for the members of the National Council and sub committees.- The official members of the National Council for clinical establishments shall draw their travel and daily allowances as per the Government of India rules from the same source from which their salary is drawn. The non-official members of the Council shall be paid travel allowance and daily allowances in accordance with the Government of India rules as applicable, from time to time for the Group 'A' officers of Junior Administrative Grade.

6. State Council or Union Territory Council representation in the National Council meeting.- The National Council may invite representative(s) from one or more State councils or Union territory councils to participate in its meetings, as may be considered appropriate and the expenses on account of participation by such representatives will be met by the National Council.

7. Common registration form for compilation of the State and National Register.- In order to ensure uniformity in collection of information by the State Governments or Union territory's administration and data flow in connection with the compilation and maintenance of the State Registers and the National Register in digital format for the purpose of sections 38 and 39 of the Act, the National Council shall also develop the standard application form for registration of clinical establishments

8. District Registering Authority

(1) Qualifications and the terms and conditions for appointment of the members of the authority.- The district registering authority established by way of notification by the State Government under clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the Act shall consist of three other members who shall be nominated by the District Collector or District Magistrate and they shall include the City Police Commissioner or Senior Superintendent of Police or Superintendent of Police, or his nominee, as the case may be, a senior level officer of the Local Self Government at the district level, one representative from a professional medical association or body having presence preferably in the district or within the State, as the case may be, for a tenure of two years.

1877 GI/12-3

- (2) **Filling up of casual vacancy.**- If a casual-vacancy occurs whether by reason of death, resignation or inability to discharge functions owing to illness or any other incapacity of a nominated member, such vacancy shall be filled by the District Collector or District Magistrate by making a fresh appointment and the member so appointed shall hold office only for the remaining tenure of the person in whose place he is so appointed.
- (3) **Powers of the District Health Officer or Chief Medical Officer for the purposes of provisional registration of clinical establishments.**- The District Health Officer or the Chief Medical Officer (by whatever name called) shall exercise the following powers for the purposes of provisional registration of clinical establishments under sub-section (2) of section 10 of the Act, namely:-
- (a) for the purposes of provisional registration of the clinical establishment, an application in the prescribed proforma as adopted by the State government with the requisite fee as the State Government may by rules determine;
 - (b) the application shall be filed in person or by post or online;
 - (c) the District Health Officer or Chief Medical Officer shall, within a period of ten days from the date of receipt of such application, grant to the applicant a certificate of provisional registration in such form, particulars and information, as the State Government may by rules determine;
 - (d) the District Health Officer or Chief Medical Officer shall not conduct any inquiry prior to the grant of provisional registration;
 - (e) notwithstanding the grant of the provisional certificate of registration, the District Health Officer or Chief Medical Officer shall, within a period of forty-five days from the grant of provisional registration, cause to be published in such manner, as the State Government may by rules determine, all particulars of the clinical establishment so registered provisionally;
 - (f) where the clinical establishments in respect of which standards have been

notified by the Central Government, provisional registration shall not be granted or renewed beyond:-

(i) the period of two years from the date of notification of the standards in case of clinical establishments which came into existence before the commencement of this Act;

(ii) the period of two years from the date of notification of the standards for clinical establishments which came into existence after the commencement of this Act but before the notification of the standards; and

(iii) the period of six months from the date of notification of standards for clinical establishments which come into existence after standards have been notified;

subject to the conditions as mentioned above, every provisional registration shall be valid till the last day of the twelfth month from the date of issue of the certificate of registration and such registration shall be renewable;

(g) the application for renewal of registration shall be made to the District Health Officer or Chief Medical Officer within thirty days before the expiry of the validity of the certificate of provisional registration and, in case the application for renewal is made after the expiry of the provisional registration, the authority shall allow renewal of registration on payment of such enhanced fees, as the State Government may by rules determine;

(h) in case the certificate is lost, destroyed, mutilated or damaged, the authority shall issue a duplicate certificate on the request of the clinical establishment and on the payment of fees as the State Government may by rules determine.

9. Other conditions for registration and continuation of clinical establishments.- For registration and continuation, every clinical establishment shall fulfill the following conditions, namely :-

(i) every clinical Establishment shall display the rates charged for each type of service provided and facilities available, for the benefit of the patients at a conspicuous place in the local as well as in english language;

- (ii) the clinical establishments shall charge the rates for each type of procedures and services within the range of rates determined and issued by the Central Government from time to time, in consultation with the State Governments;
- (iii) the clinical establishments shall ensure compliance of the Standard Treatment Guidelines as may be determined and issued by the Central Government or the State Government as the case may be, from time to time;
- (iv) the clinical establishments shall maintain and provide Electronic Medical Records or Electronic Health Records of every patient as may be determined and issued by the Central Government or the State Government as the case may be, from time to time;
- (v) every clinical establishment shall maintain information and statistics in accordance with all other applicable laws for the time being in force and the rules made thereunder.

[F. No. Z-28015/87/2011-H]
DR. ARUN K. PANDA, Jt. Secy.